# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 6/2018

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्रीमति जमनादेवी पत्नि लच्छारामजी, जाति मीणा, निवासी सूरजपोल जालोर, तहसील व जिला जालोर | | 1.श्रीमति पोचीदेवी पत्नि पन्नारामजी, जाति मीणा, निवासी मेणों का वास, हरियाली, तहसील आहोर, जिला जालोर<br>2.तहसीलदार जालोर |

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर,दिनांक 27.12.2015(ना.क.सं.2502)

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत्,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री श्रवणसिंह सिसोदिया,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1के वकील की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक 20.6.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जालोर–बी,तहसील व जिला जालोर के खसरा नम्बर 5814 रकबा 9.75 हेक्टर,किस्म बारानी सोयम में अपीलांट श्रीमति जमनादेवी पत्नि लच्छाराम,जाति मीणा, निवासी सूरजपोल के बाहर जालोर का 6/7 हिस्सा हक खातेदारी का था जिसमें से अपीलांट ने दिनांक 19.12.2013 को अपने 6/7 हिस्सा यानि 8.35716 हैक्टर की आराजी में से 4.4800 हेक्टर का बैचान श्रीमति पोचीदेवी पत्नि पन्नारामजी,जाति मीणा, निवासी हरियाली ,तहसील आहोर, जिला जालोर को दिनांक 19.12.2013 को किया जिसके पंजीयन कमांक 2013006817दिनांक 19.12.13 है। उपरोक्त आराजी में से 4.48 हेक्टर का बैचान होने के बाद शेष हिस्सा 3.87716 हैक्टर अपीलांट का रहा है तथा उपरोक्त आराजी का बैचान अपीलांट के द्वारा नही किया गया है तथा बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण सं. 2294 दि.20.3.2014 को स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण स्वीकृत होते वक्त आंशिक बैचान का हवाला उपरोक्त नामान्तरकण सं. 2294 दिनांक 20.3.2014 में किया गया, उसके बाद रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा नामान्तरकण सं. 2502 दिनांक 27.12.2015 स्वीकृत किया गया जिसमें पूर्व बैचान दिनांक 19.12.2013

अतिरिक्त जिला कलेक्टर 20/6/19
जालोर (राज.)

पंजीयन कमांक 2013006817 आदि का हवाला देते हुए उपरोक्त नामान्तरकरण को पोची देवी पत्नि पन्नाराम ,जाति मीणा,निवासी मेणों का वास हरियाली ,तहसील आहोर, जिला जालोर के नाम गलत तरीके से स्वीकृत कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही बैचान दस्तावेज के आधार पर दो नामान्तरकरण सं. 2294 दिनांक 20.3.2014 व 2502 दिनांक 27.12.2015 स्वीकृत कर दिया।दुबारा नामान्तरकरण सं. 2502 को गलत रूप से भरकर स्वीकृत कर दिया तथा भूमि के दो नामान्तरकरण दर्ज होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा राजस्व रेकर्ड में भारी त्रुटि हुई है। अपीलांट ने दिनांक 22.12.2017 को पटवारी हल्का से ऋण हेतु फाईल मांगी तो पटवारी हल्का ने उपरोक्त खसरे में कोई भूमि उसके नाम दर्ज नही होना बताया तथा दो नामान्तरकरण पोचीदेवी के नाम से दर्ज होना बताया। अपीलांट ने नामान्तरकरण की नकले हेतु आवेदन किया जो नकले दिनांक 27.12.2017 को प्राप्त हुई,नकले प्राप्त होने की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 2502दिनांक 27.12.2015 को खारिज करावे तथा रेकर्ड में गलत नामान्तरकरण के आधार पर हुई अशुद्धि को शुद्ध करवाने का आदेश करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नामान्तरकरण सं. 2294 व 2502 की नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई शपथपत्र पेश नही किया गया है,अतःअपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि जालोर–बी के खसरा नम्बर 5814 रकबा 9.75 हेक्टर में अपीलांट श्रीमति जमनादेवी पत्नि लच्छाराम,जाति मीणा, निवासी सूरजपोल के बाहर जालोर का 6/7 हिस्सा हक खातेदारी का था जिसमें से अपीलांट ने दिनांक 19.12.2013 को अपने 6/7 हिस्सा यानि 8.35716 हैक्टर की आराजी में से 4.4800 हेक्टर का बैचान दस्तावेज सं. 2013006817 दिनांक 19.12.2013से श्रीमति पोचीदेवी पत्नि पन्नारामजी,जाति मीणा, निवासी हरियाली,तहसील आहोर, जिला जालोर को दिनांक 19.12.2013 को किया जिसका नामान्तरकरण सं. 2294 दिनांक 20.3.2014 तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत किया गया है, उपरोक्त आराजी में से 4.48 हेक्टर का बैचान होने के बाद शेष हिस्सा 3.87716 हैक्टर अपीलांट का रहा है तथा उपरोक्त आराजी का बैचान अपीलांट के द्वारा नही किया गया है। उसके बाद इसी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

दस्तावेज सं.2013006817 दिनांक 19.12.2013 के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा पोचीदेवी पत्नि पन्नाराम के नाम नामान्तरकण सं. 2502 दिनांक 27.12.2015 दुबारा गलत तरीके से स्वीकृत किया गया। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर इसी दस्तावेज बैंचान के आधार पर दुबारा भरा गया नामान्तरकरण सं. 2502 दिनांक 27.12.2015को खारिज करावे।इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1 के वकील ने बहस बताया कि एक ही दस्तावेज बैचान खातेदारी हक (सं. 2013006817 दिनांक 19.12.2013) का दो बार म्युटेशन स्वीकृत हुआ है जो गलत है, अतः दुबारा भरा गया नामान्तरकरण सं. 2502 दिनांक 27.12.2015 को निरस्त किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया।मौजा जालोर–बी के खसरा नम्बर 5814 रकबा 9.75 हेक्टर में अपीलांट श्रीमति जमनादेवी पत्नि लच्छाराम,वगैराह की खातेदारी का था जिसमें से अपीलांट ने रकबा4.48 हेक्टर की खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट सं.1 को जरिये दस्तावेज बैचान खातेदारी हक कम सं. 2013006817 दिनांक 19.12.2013 से बैचान की है जिसका नामान्तरकरण सं. 2294 दिनांक 20.3.2014 को स्वीकृत किया। उसके पश्चात् इसी दस्तावेज बैचान के आधार पर तहसीलदार जालोर द्वारा नामान्तरकरण सं. 2502 दिनांक 27.12.2015 को स्वीकृत किया। इस प्रकार एक ही दस्तावेज के दो नामान्तरकरण तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत किये गये है जो गलत है। अतः अपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 20.3.2014(नामान्तरकरण सं.2294)व दिनांक 27.12.2015 (नामान्तरकरण सं. 2502) निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार जालोर को प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि दस्तावेज सं. 2013006817 दि.19.12.2013 का अवलोकन कर,बाद जांच नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

20/6/19
( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 20.6.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

20/6/19
( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)